न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/343

रमेश चन्द आत्मज श्री मथुरा लाल जाति खटीक निवासी ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बनवारी लाल आत्मज श्री छगन लाल जाति मेहर निवासी सुभाष कॉलोनी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अरविन्द साहनी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या 27 की खसरा नम्बर 101 की 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 की 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 की 0.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है । वादी कम 1 उक्त भूमि को सहखातेदारान की सहमति से देखभाल करता है एवं उक्त भूमि पर वह काबिज काश्त है । प्रतिवादी ने आराजी खसरा नम्बर 120 की 0.65 हैक्टर पर हो रहे पत्थर के कोट को तोडकर अनाधिकृत रूप से उक्त भूमि में प्रवेश करने का प्रयास किया जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है । यदि दौराने वाद प्रतिवादी ने उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी के खाता संख्या 27 की खसरा नम्बर 120 की 0.65 हैक्टर आराजी में अतिक्रमण न करे और उसे शान्तिपूर्वक काश्त करने में बाधा न पहुंचाये और न ही उक्त कृत्य अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । यदि दौराने वाद प्रतिवादी कम 1 ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया हो तो उसे वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 के द्वारा वादी का वाद सहमति के आधार पर इस हद तक स्वीकार किया कि तहसीलदार रामगंजमण्डी वादग्रस्त आराजी ग्राम रामपुरिया की खसरा नम्बर 120 रकबा 0.65 हैक्टर तथा प्रतिवादी कम 1 की भूमि ग्राम रामपुरिया खसरा नम्बर 116 की पैमाईश हेतु टीम का गठन कर विधिवत पक्षकारान की मौजूदगी में पैमाईश करवा कर निशानदेही करावे और यदि वादी व प्रतिवादी कम 1 क एक–दूसरे की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो सम्बन्धित को कब्जा संभलाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट के पिता श्री मथुरा लाल जी ने उनके जीवनकाल में ही पत्थरों की कोट करवा रखी थी । वादी अपीलान्ट के पिता श्री मथुरा लाल जी के स्वर्गवास के उपरान्त से ही वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज है । प्रतिवादी कम 1 रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों एवं चाहे गये अनुतोष से परे जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को बिना सूचना दिये ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.06.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी का कोई अधिकार एवं कब्जा नहीं है । प्रतिवादी का कोई काउन्टर क्लेम भी नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं दावे को अंतिम रूप से निर्णय नहीं कर अपने अधिकारों को अवैध रूप से तहसीलदार को अन्तरित किया है । लोक अदालत में बिना अपीलान्ट की सहमति एवं राजीनामा के निर्णय पारित किया है । आदेशिका में अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर कराए हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील मेन्टेनेबल नहीं है । यदि अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अप्रसन्न हैं तो उन्हें उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जानी चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था जो वादी की साक्ष्य एंव जिरह में लम्बित था, इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दावा वादी स्वीकार कर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिया है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.65 हैक्टर एवं प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 116 की पैमाईश हेतु टीम का गठन कर विधिवत पक्षकारान की मौजूदगी में पैमाईश करवर का निशानदेही करावे यदि बाद पैमाईश वादी व प्रतिवादी क्रम 1 का एक दूसरे की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो सम्बन्धित को कब्जा संभलया जावे । अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि कोई भी न्यायालय अपने अधिकार तहसीलदार को अन्तरित नहीं कर सकता । अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय स्वयं पारित करते ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया है जिसें उन्होंने यह कथन किया है कि यदि दौराने दावा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया हो तो उन्हें कब्जा संभलाया जावे । प्रतिवादी के द्वारा जवाबदावे के साथ कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को यह निर्देशित किया है कि – "वादी एवं प्रतिवादी का एक दूसरे की आराजी पर कब्जा पाया जावे तो सम्बन्धित को कब्जा संभलाया जावे" – उक्त आदेश विधि –विरूद्ध है।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 एवं 12 में किये गये विवेचन के अनुसार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा